अध्याय

25

# ऋण एवं अग्रिम

## (Loan and Advances)

**1. प्रस्तावना—**

राज्य शासन स्तर से पूर्व में दो प्रकार के अग्रिम शासकीय सेवक को दिए जाते थे, जिसमें जो ब्याज रहित अग्रिम होता है, उसे अग्रिम कहते हैं तथा जो ब्याज सहित होता था, उसे ऋण कहते थे। राज्य शासन द्वारा ब्याज सहित ऋण देना वर्ष 2004 से बन्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों को बाह्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना दिनांक 1-6-2004 से लागू की गई।

**2. ब्याज रहित अग्रिम—**

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को निम्न मदों में ब्याज रहित अग्रिम दिया जाता है। पूर्व में अनाज अग्रिम भी इसी के अधीन दिया जाता था, जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है—

(1) स्थानान्तरण पर अग्रिम,

(2) स्थानान्तरण/दौरों पर अग्रिम,

(3) त्यौहार अग्रिम,

(4) गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम,

(5) विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम,

(6) चिकित्सा अग्रिम।

**स्पष्टीकरण**—राज्य शासन द्वारा अनाज अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ 1003491/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा अनाज अग्रिम को समाप्त कर दिया गया।

**(1) स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा अग्रिम**—यह अग्रिम किसी शासकीय सेवक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में नए गंतव्य पर जाने के लिए दिया जाता है। इस अग्रिम में एक माह का वेतन, शासकीय सेवक एवं उसके आश्रितों का नए गंतव्य पर पहुँचने का वास्तविक किराया तथा समान का परिवहन व्यय सम्मिलित होता है। वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान किश्तों में तथा यात्रा अग्रिम का समायोजन एक मुश्त यात्रा देयक से किया जावेगा। यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

**टिप्पणी**—(1) आपसी स्थानान्तरों में अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय 26

# शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा

## (Medical Benefits to Government Servants)

**1. प्रस्तावना—**

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-21-05/2010/नौ/55 दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू किया गया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया को विनियमित करना है।

**2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 2013—**

[1]स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

---

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रयोज्य।

अध्याय

4

# अनुकम्पा नियुक्ति
## (Compassionate Appointment)

### 1. अनुकम्पा नियुक्ति—

अनुकम्पा नुियक्ति, वह नियुक्ति है जिसमें किसी शासकीय सेवक के आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद, उस परिवार की संभावित वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के दृष्टि से उस शासकीय सेवक, जिसकी मृत्यु हुई है, के विधिमान्य किसी आश्रित को शासकीय सेवा में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति Dying-in-Harness नियमों के अधीन की जाती है।

**टिप्पणी**—(1) अनुकम्पा नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य किसी परिवार को उसके रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति के आकस्मिक निधन के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई का तत्काल निराकरण है। अतः अनुकम्पा नियुक्त शीघ्रातिशीघ्र दी जानी चाहिए एवम इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण सुषमा गोसाई वि. भारत संघ प्रकरण में दी गई है।

(2) किसी आवेदक परिवार को परिवार पेंशन एवं पेंशन से संबंधित देय स्वत्वों का भुगतान किया जाना अनुकंपा नियुक्ति रोके जाने का कोई आधार नहीं है। [स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वि. राम पियारे, (2001) 2 UPLBEC 1597 (All)]

(3) अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना सामान्य नियमों के अधीन एक अपवाद है। यह मात्र प्रश्नगत परिवार को वित्तीय कठिनाई से दूर करने हेतु दी जाती है। यह किसी का वैधानिक अधिकार नहीं है। [हरियाणा विद्युत बोर्ड वि. नरेश तंवर 1996(2) JT (SC) 542]

(4) मात्र शासकीय सेवक का निधन ही, अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस परिवार की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है जिसका निधन हुआ है। अतः अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के पूर्व उस परिवार की वित्तीय स्थिति का भलीभांति संज्ञान कर लेना चाहिए। [उमेश कुमार अग्रवाल नागपाल वि. स्टेट बैंक ऑफ हरियाणा, 1994 (4) SSC 138]

(5) अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल दिए जाने का कई अर्थ होता है। लंबी अवधि बीत जाने के बाद उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता, अतः नहीं दिया जाना चाहिए। [हरियाणा विद्युत बोर्ड वि. नरेश तंवर, 1996 (2) JT (SC) 542]

(6) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु राज्य द्वारा स्थापित नियमावली से भिन्न जाकर मानवीय दृष्टिकोण एवं सहानुभूति के आधार पर उच्च न्यायालय को निर्देश नहीं देना चाहिए। [हिमाचल प्रदेश राज्य वि. जफली देवी, 1995(5) SCC 304]

अध्याय 52

# नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004
## (New Contributory Pension Scheme, 2004)

### 1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004—

पूर्वस्थापित पेंशन योजना में बदलाव करते हुए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई है, इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है—

(1) यह योजना इस दिनांक के बाद (1.11.2004) सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा।

(2) नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ, यह योजना, आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित सेवा स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों की भी लागू हो। किन्तु, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्तियों तथा शिक्षाकर्मियों में लागू नहीं है।

(3) दिनांक 1.11.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(4) इस योजना में कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता के योग का 10% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा करेगा तथा शासन भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि नियोजक हिस्से के रूप में जमा करेगी।

(5) इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक आवंटित होगा। यह खाता क्रमांक नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (NSDL) द्वारा आवंटित किया जावेगा।

(6) प्रत्येक शासकीय सेवक सेवा में प्रविष्ट होते ही प्ररूप 1 में स्वयं से सम्बंधित जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख को देंगे।

(7) स्थाई रिटायमेन्ट खाता (Permanent Retirement Account Number) नम्बर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा लिखित में सम्बंधित कर्मचारी को दिया जावेगा तथा यह उसके सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी जावेगी।

(8) यह स्थाई रिटायमेन्ट खाता क्रमांक पूरे सेवाकाल के लिए एक ही होगा, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में पदस्थ हो जावे अथवा अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर पदस्थ होने पर भी।

अध्याय

**79**

# यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों हेतु क्षतिपूर्ति योजना[1]

## (Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes)

रिट पिटीशन (सी) क्र. 565/2012 निपुन सक्सेना एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य, आदेश दिनांक 05-09-2018 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यह निर्देश अभिकथित किया जाता है कि "नालसा की यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिये क्षतिपूर्ति योजना 2018", पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) के अधीन यौन अपराध से पीड़ित बच्चों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिये विशेष न्यायालय के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार के समन्वयन से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों, जिन्हें यौन हमले (यौन उत्पीड़न) या अन्य अपराधों के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो, के पुनर्वास के संबंध में निधि का प्रावधान करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्—

### योजना

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) यह योजना **यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018** कहलायेगी।

(2) यह दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(3) यह पीड़ित और उसके आश्रित (ों), जिसे कारित अपराध के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को लागू होगी।

**2. परिभाषाएँ**—(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "**संहिता**" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

(ख) "**आश्रित**" से अभिप्रेत है पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा-दादी, अविवाहित पुत्री और अवयस्क बच्चे, जैसा कि राज्य विधिक

1. छ.ग. शासन, गृह (पुलिस) विभाग अधिसूचना क्र. एफ 3-67/2018/गृह-दो, दिनांक 4-2-2019; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13-2-2019 को पृष्ठ 91-92(6) पर प्रकाशित।

| माह | मासिक अंशदान | वापसी | लगातार मासिक अंशदान |
|---|---|---|---|
| अक्टूबर | 2000/- | — | 14000/- |
| नवम्बर | 2000/- | — | 16000/- |
| दिसम्बर | 2000/- | — | 18000/- |
| जनवरी | 2000/- | — | 20000/- |
| फरवरी | 2000/- | — | 22000/- |
| मार्च | 2000/- | — | 24000/- |
| योग | 24000/- | — | 156,000/- |

(i) खुल्ती शिल्क (पूर्वगामी वर्ष तक कुल अंशदान) = रु. 350,000/-

(ii) चालू वर्ष में जमा = रु. 24,000/-

(iii) चालू वर्ष में ब्याज (रु. 28550+1575+1150) = रु. 31,295/-

योग = रु. 4,05,295/-

चालू माह में आहरित राशि = रु. 35000/-

चालू वर्ष के अन्त में कुल अंशदान (बंद शिल्क) = रु. 370,295/-

9. निधि से अग्रिम—

(1) स्वीकृत कर्त्ता अधिकारी स्व विवेक से, अभिदाता को अस्थाई अग्रिम, जो कि तीन माह के वेतन से अधिक अथवा जमा राशि के आधे से आधिक न हो, निम्न प्रयोजनों में से किसी एक के लिए स्वीकृत कर सकता है—

(i) अभिदाता या अभिदाता के किसी आश्रित के लम्बी बिमारी के उपचार हेतु।

(ii) अभिदाता या अभिदाता की पत्नी की प्रसूति हेतु बशर्ते अभिदाता को दो से अधिक बच्चे न हो।

(iii) भारत के बाहर अभिदाता या अभिदाता के किसी आश्रित को शिक्षा हेतु यात्रा के लिए।

(iv) अभिदाता के या उसके परिवार के किसी सदस्य के तकनीकी शिक्षा के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु।

(v) अभिदाता के हैसियत के अनुसार सामायिक कार्यो जैसे विवाह या अत्येष्टि इत्यादि के व्यय के लिए।

(vi) अशंदाता के हित शासकीय धन की क्षतिपूर्ति हेतु।

(vii) फौजदारी मामलों में अशंदाता के बचाव हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।

(viii) अंशदाता को स्वयं को दोष सिद्ध करने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।

अध्याय 51

# समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना

## (Group Insurance Scheme and Family Benefits Fund Scheme)

### 1. समूह बीमा योजना—

**(1) योजना की प्रभावशीलता**—राज्य शासन के समस्त कर्मचारियों के लाभार्थ यह योजना, राज्य शासन द्वारा, दिनांक 1.7.85 से लागू की गई। इस योजना से पूर्व, राज्य परिवार कल्याण निधि योजना 1974 लागू थी। राज्य शासन द्वारा लागू की समूह बीमा योजना में यह व्यवस्था दी गई कि जो कर्मचारी, इस नवीन योजना का वरण नहीं किए हैं, वे सेवानिवृत्ति तक या आगे भी इस नई योजना का वरण न करने की स्थिति में, पुरानी योजना के ही सदस्य बने रहेंगे तथा उनके दावे, उस पुरानी योजना के नियमों के अधीन ही निपटाए जावेंगे।

**(2) समूह बीमा योजना की सदस्यता**—(i) यह योजना, उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू होगी, जो इस योजना को अधिसूचित किए जाने के बाद शासकीय सेवा में आए है।

(ii) योजना के सदस्य के रूप में, नामांकित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म 2 में उसके नामांकित दिनांक को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जावेगी। इसकी सूचना चार प्रतियों में बनाई जावेगी। एक प्रति शासकीय सेवक को, एक प्रति संचालक जीवन बीमा विभाग को, एक प्रति सम्बंधित विभागाध्यक्ष को तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकाई जावेगी।

[योजना का नियम 4(4)]

**(3)** लेकिन योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से अभिदान की राशि 30% राशि की कटौती तत्काल प्रारम्भ कर देनी चाहिए ताकि समूह बीमा का लाभ कर्मचारी को सुनिश्चित किया जा सके।

[योजना का नियम 6]

**(4) योजना में अंशदान की दर**—(i) जब योजना को दिनांक 1.7.85 से लागू किया गया तब योजना में अंशदान की दर निम्नानुसार थी—

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018**

सं. एफ. 1–2/2017 **(ईसी/पीएस).—**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय– समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः –

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:**

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।

1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।

3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

**19.0 अन्य निबंधन और शर्तें**

**19.1 पीएचडी/ एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन**

i. जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स– वर्क और बाह्‌य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबन्धित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iv.

(क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर –मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स– वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।

(ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स– वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विधा में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

(ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स–वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

x. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और उच्च पुस्तकालय पदों पर आसीन सेवारत व्यक्ति, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, केवल उस स्थिति में प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

xi.ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि है, के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो सेवा के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि प्राप्त करते हैं के लिए प्रवेश स्तर पर एक गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xii.शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक/ महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक, जिनके पास प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त है, जो शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि के लिए नामांकन, कोर्स वर्क, और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, के लिए पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xiii.पूर्वगामी खंडों में किसी शर्त के बावजूद भी, जो पहले से ही इस विनियम या पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर या सेवा के दौरान पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

xiv. शिक्षक, पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग जिन्होंने सेवा के दौरान पहले ही पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने हेतु मौजूदा नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

xv. उन पदों के लिए जहाँ पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, वहां पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा, जो इन विनियमों के लागू होने पर या इसके पश्चात् की गई हैं।

**19.2 पदोन्नति**

जब किसी व्यक्ति की पदोन्नति होगी, तो पदोन्नति पर उनका वेतन नीचे दिए गए पे– मेट्रिक्स अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

पदोन्नति पर, शिक्षक या समकक्ष पद को उस स्तर पर अगले उच्चतर प्रकोष्ठ में प्रविष्ट करके उसके मौजूदा वेतन के अकादमिक वेतन स्तर में कल्पित वेतनवृद्धि की जाएगी और इस प्रकोष्ठ में दर्शाया गया वेतन अब उस पद के अनुरूप नए शैक्षणिक स्तर पर निर्धारित होगा, जहां उसे प्रोन्नत किया गया है। यदि उस वेतन के समान एक प्रकोष्ठ नए स्तर पर उपलब्ध है, तो वह प्रकोष्ठ नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर पर अगला प्रकोष्ठ शिक्षक या समकक्ष पद का नया वेतन होगा। यदि नए स्तर पर इस पद्धति से परिकलित वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ से कम है, तो वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ पर निर्धारित किया जाएगा।

**19.3 भत्ते और लाभ**

I. शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग हेतु अन्य भत्ते और लाभ, जैसे कि गृहनगर यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र–आधारित विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता आदि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संगत नियमों द्वारा शासित होंगे।

II. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि इत्यादि भी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग संबद्ध और घटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों, जैसा भी मामला हो, में लागू होंगे।

III. चिकित्सा संबंधी लाभः शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग के लिए सभी चिकित्सा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले लाभ के समान होंगे। इसके अलावा, शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत रखा जा सकता है या केंद्र/ राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों हेतु केंद्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, के तहत रखा जा सकता है।

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Institution participating in external competitions | Good - National level competition in at least one discipline plus State/District level competition in at least 3 disciplines.<br><br>Satisfactory- State level competition in at least one discipline plus district level competition in at least 3 disciplines.<br><br>Or District level competition in at least 5 disciplines.<br><br>Unsatisfactory - Neither good nor satisfactory. |
| 4. | Up-gradation of sports and physical training infrastructure with scientific and technological inputs.<br><br>Development and maintenance of playfields and sports and physical Education facilities. | Good/Satisfactory/Not-Satisfactory to be assessed by the Promotion committee. |
| 5. | (i)At least one student of the institution participating in national/ state/ university (for college levels only) teams. Organizing state/national/inter university/inter college level competition.<br><br>(ii)Being invited for coaching at state/national level.<br><br>(iii)Organizing at least three workshops in a year.<br><br>(iv)Publications of at least one research paper in UGC approved journal. Assistance in college administration and governance related work including work done during admissions, examinations and extracurricular college activities. | Good: Involved in any two activities.<br><br>Satisfactory: 1 activity<br><br>Not Satisfactory : Not involved/ undertaken any of the activities. |
| Overall Grading | Good: Good in Item 1 and satisfactory/good in any two other items.<br><br>Satisfactory: Satisfactory in Item 1 and satisfactory/good in any other two items.<br><br>Not Satisfactory: If neither good nor satisfactory in overall grading. | |

**Note:**

i)It is recommended to use ICT technology to monitor the attendance of sports and physical education and compute the criteria of assessment.

ii)The institution must obtain student feedback. The feed-backs must be shared with the concerned Director of Physical and Education and Sports and also the CAS Promotion committee.

iii)The system of tracking user grievances and the extent of grievance redressal details may also be made available to the CAS Promotion Committee.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.19 22:23:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

**वित्त निर्देश 52/2018**

**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर**

क्र. 492/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू करने हेतु अवकाश नियम में संशोधन

---

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन-पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे -

(1) यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।

(3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।

(4) संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम, 2010 के प्रपत्र-1अ में प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरूद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(6) अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(7) संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवेदक को आवेदन पत्र के कालम-10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। यह अवकाश बच्चे के पालन-पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

63.1

(8) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।

(9) अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्तहिक अवकाश स्वयमेव अवकाश के साथ संयोजित माने जावेंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किये जाएंगे।

(10) संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।

(11) संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2014–71–00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

**संलग्न :–**

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन की अधिसूचना

(2) संतान पालन अवकाश लेखा का प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 4/10/2018
संयुक्त सचिव

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

पृ. क्र. 493/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

**प्रतिलिपिः—**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, अटल नगर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, अटल नगर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, अटल नगर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, अटल नगर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, अटल नगर

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

4/10/18

(पूजा शुक्ला)
अवर सचिव

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

# संतान पालन अवकाश खाता का प्रपत्र

| संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि | | संतान पालन अवकाश का शेष | | प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| कब से | कब तक | शेष | दिनांक | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर**

## अधिसूचना

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

क्रमांक एफ 2014–71–00183/वित्त/नियम/चार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते है जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:–

## संशोधन

उक्त नियमों में:–

1. नियम 13 के उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(1) संतान पालन अवकाश को छोड़कर, अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, प्रपत्र–1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, प्रपत्र–1अ में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये।"

2. नियम 38–ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:–

   "**38–ग. संतान पालन अवकाश**– (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

   (2) अधिकार के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा।

   (3) उप–नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, "संतान" से अभिप्रेत है,–

   (क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16–18/97–एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं)।

(4) उप–नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जायेगी, अर्थात्:–

(क) यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।

(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(5) संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(6) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरूद्ध विकलित नही किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(7) इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।"

3. प्रपत्र 1 के पश्चात्, निम्नानुसार जोड़ा जाये, अर्थात्:–

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

"प्रपत्र–1अ

( नियम 13 देखिये)

## संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम | ........................................ |
| 2. | पदनाम | ........................................ |
| 3. | विभाग / कार्यालय / अनुभाग | ........................................ |
| 4. | संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन अवकाश का आवेदन किया जा रहा है | ........................................ |
| 5. | संतान की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें) | ........................................ |
| 6. | संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि | ........................................ |
| 7. | क्या संतान दो बड़े बच्चों में शामिल है | हां / नही |
| 8. | खाते में शेष अर्जित अवकाश (आवेदन की तिथि पर) | ........................................ |
| 9. | अवकाश की अवधि– दिन | ....................से....................तक |
| | पूर्वयोजित / अनुयोजित अवकाश, यदि कोई हो | ........................................ |
| 10. | आवेदित अवकाश का / के कारण | ........................................ |
| 11. | आवेदन की तिथि तक उपभोग की गई कुल संतान पालन अवकाश | ........................................ |
| 12. | (क) क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई है | हां / नहीं |
| | (ख) यदि हां, तो अवकाश अवधि के दौरान पता | ........................................<br>........................................<br>........................................ |
| 13. | पिछले अवकाश से लौटने की तिथि, उस अवकाश की प्रकृति एवं अवधि | ........................................ |

दिनांक : ....................................

आवेदक का हस्ताक्षर............................

कर्मचारी कोड संख्या ..........................

[signature]

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

**<u>नियंत्रक अधिकारी की अभियुक्तियां</u>**

अवकाश अनुमोदित किया जाता है/नहीं किया जाता है

दिनांक : ........................................

हस्ताक्षर ..........................................

पदनाम ..........................................

कार्यालय ..........................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 5/10/2018

संयुक्त सचिव

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar

**NOTIFICATION**

Atal Nagar, Dated 4th October, 2018

No. F 2014-71-00183/Finance/Rules/IV:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

**AMENDMENT**

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of Rules 13, the following shall be substituted, namely:-

   "(1)An application for leave or for an extension of leave except for Child Care Leave must be made in FORM-1 and application for an extension for Child Care Leave must be made in FORM-1A, to the Competent Authority to grant such leave or extension."

2. After rule 38-B, the following shall be added, namely:-

   "**38-C. Child Care Leave-** (1) Subject to the provisons of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the Competent Authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.

   (2) The leave cannot be claimed as a matter of right.

   (3) For the purposes of sub-rule (1), "Child" means,-

   (a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child); or

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

(b) a child with a minimum disability of forty percent (without any age limilt) as specified in Notification No. 16-18/97-N 1.1 dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

(4) Grant of child care leave to a woman Govenment servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. If the period of leave sanctioned also continues into the next calendar year then the spell shall be counted in such year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calender year means the period commencing from 1st January to 31st December of the year.

(b) Ordinarily, it shall not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.

(5) During the period of child care leave, the woman Government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave shall not be debited against the leave account and this leave may be combined with any other kind of leave.

(7) The account of this leave shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women Government servant."

3. After FORM-1, the following shall be added, namely:-

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

**"FORM-1A**

(See rule 13)

## APPLICATION FOR CHILD CARE LEAVE

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the Applicant | ............................................ |
| 2. | Designation | ............................................ |
| 3. | Department/Office/Section | ............................................ |
| 4. | Name of Child for whom Child Care leave is applied for | ............................................ |
| 5. | Date of Birth of the Child (Attach birth certificate) | ............................................ |
| 6. | Date on which child will be attaining 18 years | ............................................ |
| 7. | Is the child among the two eldest Children | Yes/No |
| 8. | EL in credit (as on date of application) | ............................................ |
| 9. | Period of Leave Days | From.................To.................. |
| | Prefix/Suffix of holiday, if any | ............................................ |
| 10. | Reason (s) for leave applied for | ............................................ |
| 11. | Total Child Care Leave availed till date | ............................................ |
| 12. | (a) Whether permission to leave headquarters is requested | Yes/No |
| | (b) if yes, Address during leave period | ............................................<br>............................................<br>............................................ |
| 13. | Date of return from last leave, nature and period of that leave | ............................................ |

Date.........................

Signature of applicant ............................

Employee Code No.................................

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)

**Remarks of Controlling Officer**

Leave Recommended/Leave Not Recommended

Date: ..........................

Signature ..................................

Designation ..............................

Office.......................................

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

4/10/2018-

(S.K. Chakraborty)
Joint Secretary

PRINCIPAL,
GOVT. COLLEGE, BARPALI
Distt. - KORBA (C. G.)